

रेल भर्ती प्रकोष्ठ
उत्तर मध्य रेल
प्रयागराज।

केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना सं. आरआरसी 01/2019 के तहत लेवल-1 के उम्मीदवारों का
डिवीजनल मेडिकल बोर्ड/समिति के निर्णय के खिलाफ अपील हेतु सूचना

केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना सं. आरआरसी 01/2019 के तहत लेवल-1 पद के लिये उम्मीदवारों को रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा किए गए दस्तावेज सत्यापन के बाद एनसीआर के मंडल रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा गया था।

जिनमें से संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को रेलवे चिकित्साधिकारी द्वारा जारी फिट प्रमाण पत्र के द्वारा चिकित्सा कोटि B-2, C-1, C-2 में फिट पाया गया। चूँकि भर्ती में पद का आवंटन मैरिट, आवेदन पत्र में दिए गए पद की वरियता, चिकित्सा परीक्षण में फिटनेस की स्थिति एवं अभ्यर्थियों की कोटि में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अतः निम्न चिकित्सा कोटि के कारण इन अभ्यर्थियों को पद आवंटित नहीं (No Post) किया गया।

यदि ये उम्मीदवार डीएमबी/तीन सदस्य समिति के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो वे अपीलीय अधिकारी से अपील कर सकते हैं।

(क) अपीलीय आवेदन को प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज को संबोधित किया जाना चाहिए और साथ ही प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक को आगे प्रस्तुति के लिये अध्यक्ष, रेल भर्ती प्रकोष्ठ, बाल्मीकि चौराहा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पिन – 211001 को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ख) अपील इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर रेल भर्ती प्रकोष्ठ/प्रयागराज कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए, अधिकतम 18:00 बजे स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत द्वारा। अपील के बाद, चिकित्सा परीक्षा के लिए कोई और मौका नहीं दिया जायेगा। ऐसी अपील तभी मानी जाएगी, जब

1. अपील में उस कारण/औचित्य का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार अपील कर रहा है (प्रोफार्मा 'बी' के अनुसार)
2. उम्मीदवार सरकारी/निजी डॉक्टर से उस विशेषता/विशिष्टता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें उम्मीदवार अनुपयुक्त पाया गया हो।

3. इस तरह के प्रमाण पत्र में एक नोट शामिल होना चाहिए कि सरकारी/निजी विशेषज्ञ, विशेष चिकित्सा श्रेणी के लिये रेलवे द्वारा निर्धारित शारीरिक और दृश्य मानकों से पूरी तरह अवगत हैं, और वह इस तथ्य से अवगत हैं कि उम्मीदवारों को पहले से ही इन मानकों के अनुरूप उपयुक्त मेडिकल बोर्ड जो कि सरकार द्वारा नियुक्त तीन वरिष्ठ रेलवे डॉक्टर शामिल कर बना है के द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के दौरान इन मानकों के अनुसार अयोग्य घोषित किया गया है। (प्रोफार्मा 'ए' के अनुसार)
4. प्रमाणपत्र पर उम्मीदवार की तस्वीर और पहचान का निशान सरकारी/निजी जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए।
5. ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी अपनी एमसीआई (MCI)/राज्य पंजीकरण संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
6. शुल्क उम्मीदवार द्वारा देय होगा और इसके लिए उम्मीदवार को FA & CAO/NCR, PRYJ के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से 1000/- रुपये का भुगतान करना होगा।
7. संबंधित अपीलीय प्राधिकारी प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज होंगे।

जहाँ प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक की राय है कि अपील के मामले की फिर से जाँच होनी चाहिए, वह उम्मीदवार की फिर से जाँच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड को नामित कर सकते हैं। प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा विधिवत अनुमोदित मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों को आरआरसी/प्रयागराज के माध्यम से उम्मीदवार को सूचित किया जायेगा।

यदि निर्णय अनफिट से फिट में बदल जाता है, तो जमा किया गया डीडी उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, इस डीडी को रेलवे के राजस्व में जमा किया जाएगा।

Sr. No.	Registration Number	Roll No.	Name	Medical Fit memo
1.	1150563470	134191260405947	RAM PRAVESH SRIVASTAVA	UNFIT IN A-2,A-3,B-1 AND FIT IN B-2 & BELOW WITHOUT GLASS DUE TO EFECTIVE COLOUR VISION
2.	1150297167	134191130615555	VIKAS KUMAR	UNFIT IN A-2, A-3,B-1,B-2,C-1 AND FIT IN C-2 WITH GLASS FOR DV DUE TO SUBSTANDARD VISION
3.	1150635536	134191190395947	SHESH DHAR	UNFIT A-2, A-3, B-1 DUE TO DEFECTIVE ISHARA & DEFECTIVE EGL (13mm) AND FIT IN B-2 & BELOW WITHOUT GLASS
4.	1150631582	134191190097021	PRAMOD KUMAR MAURYA	UNFIT A-2, A-3, B-1 & B-2 AND FIT IN C-1 & BELOW DV ONLY
5.	1150544807	134191190182051	SAURABH MISHRA	UNFIT IN A-2, A-3, B-1, B-2 & C-1 DUE TO PROGRESSIVE ORGANIC DEISES IN LEFT EYE (IRMM PAGE NO. 56) FIT IN C-2

				WITHOUT GLASS
6.	1150321392	134191190351489	DURGESH SINGH	UNFIT IN A-2, A-3, B-1 & B-2 DUE TO SUBSTANDARD DV AND HIGH POWER OF GLASSES (>4.00D) FIT IN C-1 AND C-2 WITH GLASS FOR DV IN BOTH EYES.
7.	1150178221	134191170097864	ORAGE CHAUHAN	UNFIT IN A-2, A-3, B-1 & B-2 AND FIT IN C-1 & BELOW WITH GLASSES FOR DISTENCT VISION
8.	1150695328	134194130196061	ANKIT	UNFIT IN A-2, A-3 & B-1 FIT IN B-2 & BELOW WITHOUT GLASSES FOR DISTANCT VISION
9.	1150130200	134194170099816	AAKASH KUMAR	UNFIT IN A-2, A-3 AND B-1 BUT FIT IN B-2 & BELOW.
10.	1150114230	134194260044338	ARUN KUMAR YADAV	UNFIT IN A-2, A-3, B-1, B-2 DUE TO SUBSTANDARD DV AND HIGH POWER OF GLASS (> 4D) FIT IN C-1 & C-2 WITH GLASS FOR DV IN BOTH EYE.
11.	1150870741	134191190138152	KRISHAN DEV MANI	UNFIT IN A-2, A-3, AND B-1 BUT FIT IN B-2 AND BELOW


- नोट :- 1. जो उम्मीदवार डीएमसी में उपस्थित नहीं हुए वे अपील के पात्र नहीं हैं।
2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी मेडिकल प्रवेश पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अपनी अपील के साथ संलग्न करें।

दिनांक :- 04.04.2024

अध्यक्ष/रेल भर्ती प्रकोष्ठ

**PROFORMA FOR MEDICAL CERTIFICATE TO BE OBTAINED FROM SPECIALIST BY
CANDIDATE FOR APPEAL TO PCMD AGAINST THE DECISION OF THE COMMITTEE.**

(Authority : Railway Board's letter No. 2014/H/5/8(Policy), Date 07.07.2017)



I have checked up Shri.....S/o.....

Address.....

who bears following marks of identification(i).....

(ii).....who has applied for the post of

.....in Railway. The candidate is having

following standard required for appointment on the Railway.

Post Class	Class	Standard required by Railway for above post	Examination Finding of the Candidate	Remarks
		i)		
		ii)		
		iii)		

I.....Specialist is fully aware of Physical & Visual Standards set by the Railways for the particular medical category and that I am aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to the substandard during medical examination conducted by appropriate Medical Board comprising of the three Senior Railway Doctors appointed by Government in this regard.

Name of Specialist

MCI Registration No

Mobile No.

Place.....

Date.....

(Signature of Specialist with Seal)

Application for Appeal

From

Name:-.....

Roll Number:-.....

Mobile No.:-.....

E-mail Id:-.....

To

**The Principal Chief Medical Director
North Central Railway,
Prayagraj**

(Through Chairman/RRC/Prayagraj)

1. I attended the document verification for the post of.....under CEN-No.RRC-01/2019 at RRC Prayagraj office, Prayagraj on date.....and attended the medical examination at (Railway Hospital) on.....for..... Medical Standard.

2. Reason/Justification for making appeal:

.....
.....
.....

Hence, I wish to go for an appeal and I herewith enclosing the Certificate from the specialist in Proforma-‘A’ along with the Demand Draft No.....Dated.....taken at(Bank Name) for Rs. 1000/- (Rupees One thousand Only) in favour of FA&CAO , North Central Railway, Prayagraj. (Struck off which is not applicable)

Kindly consider my appeal and do the needful.

Enclosure:- 1. Proforma-‘A’

2. DD NO .---..... Dated

Date :

(Signature with Name)

Place :